प्रेस विज्ञप्ति
31.05.2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुंबई जोनल कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के तहत 15.05.2024 को ललित टेकचंदानी और 15 अन्य व्यक्तियों/संस्थाओं के खिलाफ माननीय विशेष (पीएमएलए) अदालत, मुंबई के समक्ष अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। माननीय न्यायालय, मुंबई ने 29.05.2024 को पीसी का संज्ञान लिया है।

ईडी ने आईपीसी, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत तलोजा पुलिस स्टेशन और चेंबूर पुलिस स्टेशन द्वारा दर्ज दो एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। एफआईआर में यह आरोप लगाया गया है कि टेकचंदानी और अन्य लोगों द्वारा प्रतिनिधित्व की गई कंपनी मेसर्स सुप्रीम कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड (एससीडीपीएल) ने नवी मुंबई के तलोजा में एक आवास परियोजना में संभावित घर खरीदारों से भारी धन एकत्र किया। घर खरीदने वालों को न तो फ्लैट दिए गए और न ही उनके पैसे लौटाए गए।

ईडी की जांच से पता चला कि एससीडीपीएल ने नवी मुंबई के तलोजा में एक आवासीय परियोजना में कई घर खरीदारों से 400 करोड़ रु. रुपये से अधिक की भारी धनराशि एकत्र की। परियोजना में देरी के कारण इन घर खरीदारों को फ्लैट या रिफंड के बिना अधर में छोड़ दिया गया। ईडी की जांच से पता चला है कि टेकचंदानी ने अन्य आरोपी व्यक्तियों की सहायता से कंपनी के स्वामित्व और निदेशक पद से हटने के बावजूद एससीडीपीएल की संपत्तियों को अलग कर दिया। ईडी की जांच से यह भी पता चला है कि आरोपी व्यक्ति कंपनी की प्राप्तियों को सहयोगी इकाई के खाते में स्थानांतरित कर रहे थे, जिससे धन की निकासी हो रही थी।

ललित टेकचंदानी को ईडी ने 18.03.2024 को गिरफ्तार किया था। वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। उनसे पूछताछ से पता चला है कि घर खरीदारों से प्राप्त धन को बिल्डर ने व्यक्तिगत लाभ और परिवार के सदस्यों सहित विभिन्न नामों पर संपत्ति बनाने के लिए इस्तेमाल किया था।

अपराध के आगमों की पहचान करने के बाद, ईडी ने पहले इस मामले में 113.5 करोड़ रुपये की कुल कीमत वाली चल और अचल संपत्तियों के संबंध में अनंतिम कुर्की आदेश जारी किया था। ईडी ने इस मामले में 43 करोड़ रु के शेयर/म्यूचुअल फंड/सावधि जमा में रुपये के निवेश को भी फ्रीज/जब्त कर लिया है। .

आगे की जांच जारी है।